न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 257/2012

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जितेन्द्र पुत्र बाबुलाल
2. इन्द्रा पुत्री बाबुलाल
3. कंचन पुत्री बाबुलाल
   जाति-नाई, निवासी बलाड़ा
4. हरीश कुमार पुत्र बद्रीनारायण
5. अनिल कुमार पुत्र बद्रीनारायण
   कौम-माहेश्वरी, निवासी बलाड़ा
6. प्रतिमा शर्मा पत्नी पवन शर्मा
   इन्द्रा चौक बस स्टेण्ड
   हनुमानगढ़,
7. शिवकरण पुत्र सुजाराम जाट
   निवासी-आ0कालू, हाल-निवासी
   बलाड़ा, तहसील-जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 29.11.2012

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 24/06/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 641 रकबा 18-08 बीघा किस्म से0दो0 लगान 17.25 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में से रकबा 404-68 वर्ग मीटर किस्म से0दो0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा बलाड़ा तहसील जैतारण के ख.नं. 641 रकबा 18-08 बीघा किस्म से0दो0 लगान 17.25 रुपये आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21/11/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर में सहखातेदारान् की भूमि हैं। उक्त टावर हमारे हिस्से में नहीं लगाया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गया हैं। प्रति0 संख्या 4 व 5 की ओर से वकील श्री शिवरतनराज भण्डारी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त टावर सहखातेदारान् की भूमि होने से हमारे हिस्से में नहीं लगा हैं। बल्कि सहखातेदार ने ही टावर लगाने की सहमति दी हैं। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13/03/2012 अनुसार उक्त टावर प्रतिमा शर्मा पत्नी पवन शर्मा के हिस्से में आई भूमि में लगा हुआ हैं। उक्त टावर रिलाइन्स कम्पनी का हैं। भूमि का भू-रूपान्तरण नहीं हो रखा हैं। प्रति0 को दिनांक 21/11/2012 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश करने में विफल रहने से जवाबदावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 सह खातेदार हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 641 रकबा 404-68 वर्ग मीटर किस्म से0दो0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 641 रकबा 404-68 वर्ग मीटर किस्म से0दो0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान)		1. जितेन्द्र पुत्र बाबुलाल 2. इन्द्रा पुत्री बाबुलाल 3. कंचन पुत्री बाबुलाल जाति-नाई, निवासी बलाड़ा 4. हरीश कुमार पुत्र बद्रीनारायण 5. अनिल कुमार पुत्र बद्रीनारायण कौम-माहेश्वरी, निवासी बलाड़ा 6. प्रतिमा शर्मा पत्नी पवन शर्मा इन्द्रा चौक बस स्टेण्ड हनुमानगढ, 7. शिवकरण पुत्र सुजाराम जाट निवासी-आ0कालू, हाल-निवासी बलाड़ा, तहसील-जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 257/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 641 रकबा 404-68 वर्ग मीटर किस्म से0दो0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-	02	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner